

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

2569. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को अपने उत्पाद सीधे बेचने में सक्षम बनाने हेतु गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में स्वयं को पंजीकृत कराने वाले नए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या का पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) कुल पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं में से पोर्टल पर व्यापार गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं की संख्या कितनी है; और
- (ग) पूर्ण आंकड़ों के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तमिलनाडु से पोर्टल में भाग लेने वाले कुल आपूर्तिकर्ताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या जीईएम पोर्टल से शेल कंपनियों या फर्जी कंपनियों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कोई तंत्र है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क) 30 जुलाई 2025 तक गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले और अपना प्रोफाइल पूरा करने वाले नए आपूर्तिकर्ताओं की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-I में है।
- (ख और ग) कुल पंजीकृत विक्रेताओं में से कुल 5,19,782 विक्रेताओं ने पोर्टल पर व्यापार गतिविधियों (जीईएम पर कैटलॉग अपलोड किया है या बोली में भाग लिया है) में सक्रिय रूप से भाग लिया है। तमिलनाडु से जीईएम पोर्टल पर व्यापार गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं की कुल संख्या 19,955 है।
- (घ) जीईएम पोर्टल को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस के साथ ऑनलाइन एकीकृत किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वैध कंपनियां ही जीईएम पर पंजीकृत हों।

दिनांक 05.08.2025 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक-I

गवर्नमेंट ई -मार्केटप्लेस (जीईएम) पर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले और अपना प्रोफाइल पूरा करने वाले नए आपूर्तिकर्ताओं की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:				
राज्य	वित्त वर्ष में जीईएम पर पंजीकृत नए प्रोफाइल पूर्ण आपूर्तिकर्ताओं की संख्या			
	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (दिनांक 30 जुलाई 2025 तक)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	671	564	622	218
आंध्र प्रदेश	2,011	3,581	2,020	844
अरुणाचल प्रदेश	215	245	322	131
असम	2,957	5,203	3,255	1157
बिहार	5,030	8,736	4,523	1568
चंडीगढ़	576	544	441	174
छत्तीसगढ़	2,038	1,30,696	10,357	2034
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	107	95	23	30
दिल्ली	11,735	13,236	9,864	4117
गोवा	352	546	2,051	110
गुजरात	12,588	13,102	11,886	4322
हरियाणा	5,572	10,770	5,329	2124
हिमाचल प्रदेश	1,197	1,344	1,129	418
जम्मू और कश्मीर	5,146	4,852	4,455	1791
झारखंड	3,160	10,190	3,830	1112
कर्नाटक	5,843	8,865	5,004	1842
केरल	2,135	2,935	1,817	654
लद्दाख	158	119	254	142
लक्षद्वीप	3	9	6	0
मध्य प्रदेश	7,095	10,978	10,964	2270
महाराष्ट्र	18,202	4,35,149	62,742	6122
मणिपुर	308	197	242	116
मेघालय	207	225	187	97
मिजोरम	64	75	81	32
नागालैंड	148	148	150	65

ओडिशा	2,770	7,830	2,809	1047
पुदुचेरी	183	168	174	61
पंजाब	3,463	3,400	3,319	1358
राजस्थान	5,545	7,184	5,932	2156
सिक्किम	79	98	114	36
तमिलनाडु	6,266	7,649	6,015	1901
तेलंगाना	3,040	3,903	3,002	1172
त्रिपुरा	286	333	315	109
उत्तर प्रदेश	22,732	27,764	21,969	8357
उत्तराखंड	2,392	3,721	2,272	855
पश्चिम बंगाल	6,447	15,715	5,608	2087
कुल	1,40,721	7,40,169	1,93,083	50,646